

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 299 / 2003ईफौ

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 299 / 2003

संस्थापित दिनांक 27 / 12 / 1999

फाइलिंग नं. 230303000342003

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद चौराहा, जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियोजन

बनाम

1. रामहेत पुत्र राजाराम शर्मा उम्र-43 वर्ष
निवासी—ग्राम भीमपुरा थाना फूप जिला भिण्ड

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा-279, 337, 338 एवं 304ए भा0द0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार।)

(आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री के0पी0 राठौर।)

::- निर्णय :-

(आज दिनांक 20 / 07 / 2017 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 17.11.1999 के 16:00 बजे दिलीप सिंह के पुरा के पास ग्वालियर भिण्ड रोड पर लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-कै0ए0-9375 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी0-06-जे.ए.-6861 में टक्कर मारकर उसमें बैठे फरियादी बृजकिशोर एवं आहत योगेन्द्र, मीरा, सुरजीत, रामसेवक, शारदा, कण्ठश्री, सर्वेश एवं सुरमाला को चोट पहुंचाकर उन्हें साधारण उपहति तथा उसमें बैठे श्यामवरन, रामवरन, काशीबाई, लाखनसिंह, शिशुपाल को चोट पहुंचाकर उन्हें अस्थिभंग कारित कर उन्हें गंभीर उपहति तथा उसमें बैठे श्रीकृष्ण को चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित करने हेतु भा0द0सं0 की धारा 279, 337, 338 एवं 304ए के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 17.11.99 को फरियादी बृजकिशोर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली क्रमांक एम0पी0-06-जे.ए.6861 से फेरा करके मउ जिला ग्वालियर से वापिस आ रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली में वह और उसके रिश्तेदार बैठे थे महिलायें, बच्चे, पुरुष कुल 16-17 लोग बैठे थे उसने रास्ते में कीरतपुरा डांग से ट्रैक्टर ट्रॉली में खण्डे भरे थे खण्डों की ट्रॉली में लोग बैठे थे। वह ट्रैक्टर चलाता हुआ अपने गांव लावन जा रहा था तभी गोहद चौराहे से करीब तीन कि0मी0 दूर भिण्ड रोड पर दिलीपसिंह के पुरा के पास एक ट्रक ग्वालियर की तरफ से आया था और उसने पीछे से उसकी ट्रॉली में टक्कर मार दी थी जिससे उसकी ट्रॉली पलट गयी थी। उसके ट्रैक्टर का भी नुकसान हुआ था एवं उसमें बैठी सवारी सुरजीत, रामवरन, गोमती, श्यामवरन, शिशुपाल, सुरमाला, सर्वेश, शारदा, कण्ठश्री, सोबरन, रामसेवक, योगेन्द्रसिंह, छोटे एवं मीरा को चोट आई थी तथा श्रीकृष्ण मौके पर ही खत्म हो गया था कुछ लोगों की हड्डियां टूट

गयी थी सभी लोग मौके पर पड़े थे ट्रक का नंबर एम0पी0-09-के0ए0-9375 था उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा पर की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद चौराहा में अपराध क्रमांक 152/99 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया आरोपी को अपराध की विशिष्टता पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी बृजकिशोर द्वारा आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को फरियादी बृजकिशोर के संबंध में भा0द0स0 की धारा 337 के आरोप से पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध भा0द0स0 की धारा 279 तथा अन्य आहतगण के संबंध में भा0द0स0 की धारा 337, 338 एवं 304ए के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 17.11.99 को 16:00 बजे दिलीपसिंह के पुरा के पास भिण्ड ग्वालियर रोड पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-के0ए0-9375 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-के0ए0-9375 को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी0-06-जे.ए.6861 में टक्कर मारकर उसमें बैठे आहत योगेन्द्र, सुरजीत, रामसेवक, महेन्द्र, शारदा, कण्ठश्री, सर्वेश एवं सुरमाला को चोट पहुंचाकर उन्हें साधारण उपहति तथा उसमें बैठे श्यामकरन, रामवरन, काशीबाई, लाखनसिंह, शिशुपाल, एवं मीरा को चोट पहुंचाकर उन्हें गंभीर उपहति तथा उसमें बैठे श्रीकृष्ण को चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की ?

7. उक्त संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी बृजकिशोर अ0सा01, योगेन्द्रसिंह अ0सा02, सुघरसिंह अ0सा03, सागरसिंह अ0सा04, श्रीमती मीरा अ0सा05, सोबरनसिंह अ0सा06, शारदा अ0सा07, शिशुपाल अ0सा08, रामसेवक अ0सा09, लाखनसिंह अ0सा010, डॉ0 के.एल.गोयल अ0सा011 एवं मुकेश अ0सा012 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त दोनो विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी बृजकिशोर अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 17.11.99 के साढ़े चार बजे की है। वह अपनी बहन कण्ठो के यहां से फेरा करके वापिस अपने गांव लावन ट्रैक्टर से जा रहा था। ट्रैक्टर में उसके अलावा सोबरन, मीरा सहित 16-17 लोग बैठे थे। ट्रैक्टर को वह चला रहा था। उसने गोहद की डांग से ट्रैक्टर में

खण्डे भरे थे खण्डों के उपर लोग बैठ गये थे और वह ट्रैक्टर लेकर लावन की ओर चल दिया था। वह गोहद चौराहे से थोड़ा आगे निकला था तभी ग्वालियर की ओर से आने वाले ट्रक ने उसके पीछे से टक्कर मार दी थी। ट्रक चालक ट्रक को तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था। टक्कर लगने से ट्रॉली पलट गयी थी और उसमें बैठी सवारियों को चोट आई थी उसके भी नाक के उपर चोट आई थी उसे ट्रक का नंबर याद नहीं है। उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी जो प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका ट्रैक्टर जप्त किया था जप्ती पंचनामा प्र0पी-3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-के0ए0-9375 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी ट्रॉली में टक्कर मारी थी उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने ट्रक का नंबर अपनी रिपोर्ट प्र0पी-1 एवं पुलिस कथन प्र0पी-4 में पुलिस को नहीं लिखाया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका वाहन भिण्ड की ओर से जा रहा था इसलिए वह नहीं देख पाया था कि पीछे वाला वाहन किस प्रकार चल रहा था। वह यह भी नहीं बता सकता कि उक्त वाहन को कौन चला रहा था।

10. साक्षी योगेन्द्रसिंह अ0सा02, सुधरसिंह अ0सा03, मीरा अ0सा05, सोबरनसिंह अ0सा06, शारदा अ0सा07, शिशुपाल अ0सा08, रामसेवक अ0सा09, लाखनसिंह अ0सा010 ने भी फरियादी बृजकिशोर अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर भिण्ड जाने तथा दिलीपसिंह के पुरा के पास ट्रक द्वारा उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार देने बाबत प्रकटीकरण किया है।

11. सागरसिंह अ0सा04 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त साक्षी ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र0पी-3 के सी से सी भाग पर एवं सफीना फार्म प्र0पी-5, तथा नक्शा लाश पंचायतनामा प्र0पी-6 के क्रमशः बी से बी भाग पर एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी-7 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है।

12. साक्षी मुकेश अ0सा012 जोकि आरोपित ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-के0ए0-9375 का पंजीकृत स्वामी है, ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि उक्त ट्रक पर कौन सा ड्राइवर चलता था उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी एवं उसके सामने कोई कागज जप्त नहीं किया था। जप्ती पंचनामा प्र0पी-3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-21 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी गाड़ी का चालान हुआ था तब पुलिस ने उससे उक्त हस्ताक्षर कराये थे। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

13. डॉ० के०एल० गोयल अ0सा011 ने चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी-13, प्र0पी-14, प्र0पी-15, प्र0पी-16, प्र0पी-17, एवं प्र0पी-18 तथा मृतक श्रीकृष्ण की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी-19 को प्रमाणित किया है।

14. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित सभी साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अभियोजन साक्षीगण द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।

15. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी बृजकिशोर अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन

में व्यक्त किया है कि वह घटना वाले दिन अपनी बहन कण्ठो के यहां से फेरा करके अपने ट्रैक्टर से वापिस अपने गांव लावन जा रहा था। ट्रैक्टर में उसके अलावा सोबरन एवं मीरा सहित 16-17 लोग बैठे थे। गोहद चौराहा के आगे एक ट्रक के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी थी जिससे उसकी ट्रॉली पलट गयी थी एवं उसमें बैठी सवारियों को चोटें आई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपित ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-के0ए0-9375 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी ट्रॉली में टक्कर मार दी थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह नहीं बता सकता कि उक्त वाहन को कौन चला रहा था। इस प्रकार फरियादी बृजकिशोर अ0सा01 ने अपने कथन में घटना वाले दिन उसका ट्रक से एकसीडेन्ट होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नंबर क्या था और उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

16. आहत योगेन्द्रसिंह अ0सा02 ने भी अपने कथन में घटना वाले दिन शिशुपाल, श्रीकृष्ण, सुघरसिंह, एवं सोबरनसिंह सहित 13-14 लोगों के साथ ट्रैक्टर में बैठकर भिण्ड जाना तथा एक ट्रक द्वारा उनकी ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार देना बताया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि वह ट्रक का नंबर नहीं बता सकता है। ट्रक का ड्राइवर वाहन छोड़कर भाग गया था इसलिए वह उसे नहीं देख पाया था। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने ट्रक का नंबर एम0पी0-09-के.ए.-9375 लेख कराया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को नहीं जानता है। उसने दुर्घटना कारित करने वाले ड्राइवर को घटनास्थल पर नहीं देखा था। उसे जानकारी नहीं है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नंबर क्या था। इस प्रकार आहत योगेन्द्रसिंह अ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यन्त विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने दुर्घटना कारित करने वाले ड्राइवर का मौके पर नहीं देखा था। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

17. साक्षी सुघरसिंह अ0सा03 ने भी अपने कथन में घटना वाले दिन एकसीडेन्ट होना तो बताया है एवं यह भी बताया है कि दुर्घटना में कई लोग घायल हो गये थे तथा श्रीकृष्ण की मृत्यु हो गयी थी परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपी ने घटना कारित नहीं की थी। इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

18. आहत श्रीमती मीरा अ0सा05, ने भी अपने कथन में घटना वाले दिन फेरा करने ननद के यहां जाना तथा लौटते समय उसका ट्रक से एकसीडेन्ट होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी की पहचान नहीं की गयी है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

19. साक्षी सोबरनसिंह अ0सा06, शारदा अ0सा07, शिशुपाल अ0सा08, रामसेवक अ0सा09 एवं लाखनसिंह अ0सा010 ने भी घटना दिनांक को ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर फेरा करने जाना तथा वापिस लौटते समय एक ट्रक द्वारा ट्रॉली में टक्कर मार देना बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक का नंबर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण द्वारा

अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथन से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

20. साक्षी सागरसिंह अ0सा04 ने भी अपने कथन में घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्र0पी-3, सफीना फार्म प्र0पी-5, नक्शा लाश पंचायतनामा प्र0पी-6 तथा जप्ती पंचनामा प्र0पी-7 पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किया है परन्तु यह भी व्यक्त किया है कि उसके सामने कोई जप्ती नहीं हुई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

21. साक्षी मुकेश अ0सा011 जोकि आरोपित ट्रक क्रमांक एम0पी0-07-के.ए.9375 का पंजीकृत स्वामी है, ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि उक्त ट्रक पर कौन ड्राइवर चलता था। उक्त साक्षी ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र0पी-20 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी-21 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है तथा इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपित ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-के.ए.9375 को आरोपी रामहेत चला रहा था। इस प्रकार मुकेश अ0सा012 द्वारा भी इस तथ्य से इंकार किया गया है कि उसके ट्रक को आरोपी रामहेत चलाता था। उक्त साक्षी द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

22. डॉ0 के0एल0 गोयल अ0सा011 द्वारा चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी-13, 14, 15, 16, 17 एवं 18 तथा शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी-19 को प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। प्रकरण में आई साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षी की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

23. उक्त चरणों में की गयी विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी बृजकिशोर अ0सा01, आहत योगेन्द्रसिंह अ0सा02, सुघरसिंह अ0सा03, सागरसिंह अ0सा04, मीरा अ0सा05, सोबरनसिंह अ0सा06, शारदा अ0सा07 शिशुपाल अ0सा08, रामसेवक अ0सा09, लाखनसिंह अ0सा010 एवं मुकेश अ0सा012 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। शेष साक्षी डॉ0 के0एल0 गोयल अ0सा011 प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपित ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-के.ए.9375 को आरोपी रामहेत चला रहा था एवं आरोपी रामहेत के आरोपित ट्रक को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी0-06-जे.ए.6861 में टक्कर मारकर वाहन दुर्घटना कारित की। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

24. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 17.11.1999 के 16:00 बजे दिलीप सिंह के पुरा के पास ग्वालियर भिण्ड रोड पर लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-के0ए0-9375 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी0-06-जे.ए.-6861 में टक्कर मारकर उसमें बैठे फरियादी बृजकिशोर एवं आहत योगेन्द्र, मीरा, सुरजीत, रामसेवक, शारदा, कण्ठश्री, सर्वेश एवं सुरमाला को चोट पहुंचाकर उन्हें साधारण उपहति तथा उसमें बैठे श्यामवरन, रामवरन, काशीबाई, लाखनसिंह, शिशुपाल को

चोट पहुंचाकर उन्हें अस्थिभंग कारित कर उन्हें गंभीर उपहति तथा उसमें बैठे श्रीकृष्ण को चोट पहुंचाकर उसकी आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी रामहेत को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा0द0स0 की धारा 279, 337, 338 एवं 304ए के आरोप से दोषमुक्त करती है।

25. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

26. प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक क्रमांक एम0पी0-09-के.ए.-9375 एवं ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी-06-जे.ए.6861 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुर्पुदगी पर है। अतः उनके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 20.07.17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)